न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—129/2019

प्रार्थी:—

कलाराम उर्फ कल्याणसिंह पुत्र श्री जवाराराम कौम पुरोहित निवासी देवपुरा धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर
2. कमिया पत्नी रूपसिंह
3. गुमानसिंह पुत्र सांवलाराम
4. चन्दणाराम पुत्र जवाराराम
5. जबरसिंह पुत्र तेजसिंह
6. टीपू पत्नी तेजसिंह
7. पुखसिंह पुत्र रूपसिंह
8. बाबू पुत्र सवाराम
9. भंवरलाल पुत्र तेजसिंह
10. भोपा पुत्र हिमताराम
11. मांगीलाल पुत्र जवाराराम
12. गाफीदेवी पत्नी सांवलाराम
13. मोहनलाल पुत्र जवाराराम
14. लक्ष्मणसिंह पुत्र सांवलाराम
15. विक्रमसिंह पुत्र सांवलाराम
16. सुजा पुत्र सवाराम
17. सवाई पुत्र हिम्मताराम
18. हड़मानाराम पुत्र जवाराराम समस्त जातियान पुरोहित निवासी देवपुरा,धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
19. गोकजी पुत्र सवाजी जाति पुरोहित निवासी कुण्डल तहसील सिवाना
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा एडीबी सिवाना तहसील सिवाना
21. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा पादरू सिवाना तहसील सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :—

1. **श्री महेन्द्र सिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक :— 14.03.22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा देवपुरा पटवार मंडल धारणा के खेत खसरा संख्या 279,280,281,282,79, 334/69 ,236,237,238,239,241 तथा ग्राम ताण्डाबेरा के खेत खसरा संख्या 784 व 792 की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी का नाम कलाराम पुत्र जवाराराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्व सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड,आधारकार्ड,पैनकार्ड,डाइविंग लाईसेन्स,बैंक डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

ाणसिंह पुत्र जवाहरसिंह दर्ज है। प्रार्थी का नाम वादग्रस्त खातेदारी खेतो की भूमि में कलाराम नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एंव ऋण इत्यादि में भारी परेशानी रहती हैं कलाराम व कल्याणसिंह नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया ।

तहसीलदार सिवाना के पत्रांक भू.अ./2022/227 दिनांक 03.02.2022 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर "कलाराम पुत्र जवारा " के स्थान पर कल्याणसिंह पुत्र जवाहर सिंह किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, रा.उ.मा.वि. धारणा का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम कल्याणसिंह पुत्र जवाहरसिंह दर्ज हैं । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया के खेत देवपुरा पटवार मण्डल धारणा के खेत खसरा संख्या 279,280,281,282,79,834/69 , 236, 237, 238, 239,241 तथा ग्राम ताण्डाबेरा के खेत खसरा संख्या 784 व 792 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "कलाराम पुत्र जवारा " के स्थान पर " कल्याणसिंह पुत्र जवाहर सिंह" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:47 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 14.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना